रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2010/वैशाख 6, 1932

No. 797] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2010/VAISAKHA 6, 1932

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2010

का.आ. 957(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 7छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि भारत की जनगणना 2011 से संबंधित सभी कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में निदेशक, जनगणना कार्य और जिले में जिला मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 7क से 7च के संबंध में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का अनुप्रयोग और निर्वहन करेंगे ।

[फा. सं. 9/7/2009 सीडी (सेन)]

च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2010

S.O. 957(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7G of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Cental Government hereby directs that the Director of Census Operations for each State and Union Territory and the District Magistrates for the Districts falling under their jurisdiction shall exercise and discharge the powers of the Central Government with regard to Sections 7A to 7F of the Census Act, 1948 in connection with the conduct of all activities of Census of India, 2011.

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General and Census Commissioner, India

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2010

का.आ. 958(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रकाशित दिनांक 20 फरवरी, 2009 के का.आ. 562(अ), के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना का कार्य सम्पूर्ण भारत वर्ष में 9 फरवरी, 2011 से 28 फरवरी, 2011 तक किया जाएगा, इसकी जांच का कार्य 1 मार्च, 2011 से 5 मार्च, 2011 तक किया जाएगा एवंम् इसकी संदर्भ तिथि मार्च, 2011 के प्रथम दिवस को 00.00 बजे होगी; सिवाए जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों को छोड़कर जहां जनसंख्या की जनगणना का कार्य 11 सितम्बर, 2010 से 30 सितम्बर, 2010 तक किया जाएगा, इसकी जांच का कार्य 1 अक्तूबर, 2010 से 5 अक्तूबर, 2010 तक किया जाएगा । इन राज्यों के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों में जनगणना की संदर्भ तिथि अक्तूबर, 2010 के प्रथम दिवस को 00.00 बजे होगी और जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवम् उत्तराखण्ड के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगा ।